



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-327

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 310086 दिनांक 01/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kailash Chand Mangal S/o Babu Lal Gupta	श्री रामगोपाल सिंघल पुत्र श्री किरोडी लाल, श्रीमती शीला सिंघल पत्नी श्री रामगोपाल सिंघल एवं मैसर्स कृष्णा बलराम रेजीडेंसी प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री आशुतोष बंसल	54	72.00 SQ. METER	JDA	PATRAKAR COLONY (COMM) Sector/Block-D	Name Transfer	आवेदक श्री कैलाश चन्द मंगल पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता द्वारा जविप्रा की योजना पत्रकार कॉलोनी के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या डी-54 क्षेत्रफल 72 व0मी0 का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा दिनांक 21.10.2022 को श्री रामगोपाल सिंघल पुत्र श्री किरोडी लाल, श्रीमती शीला सिंघल पत्नी श्री रामगोपाल सिंघल एवं मैसर्स कृष्णा बलराम रेजीडेंसी प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री आशुतोष बंसल के पक्ष में जारी किया



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

गया था।
लीजधारक श्रीमती
शीला सिंघल
द्वारा भूखण्ड के
संबंध में कार्यवाही
किये जाने हेतु
पंजीकृत
मुख्तयारनामा
आम दिनांक
02.11.2022 के
माध्यम से श्री
रामगोपाल सिंघल
को मु0आम
नियुक्त किया
गया है। उक्त
मु0आम एवं
सह-लीजधारक के
आधार पर श्री
रामगोपाल सिंघल
एवं मैसर्स कृष्णा
बलराम रेजीडेंसी
प्रा0लि0 जरिये
निदेशक श्री
आशुतोष बंसल
द्वारा आवेदित
भूखण्ड को
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
16.12.2022 के
माध्यम से
आवेदक को बेचान
किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kailash Chand Mangal S/o Babu Lal Gupta को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।